



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 4152 वर्ष 2026

हसरत अली एवं एक अन्य आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आलोक कुमार सिंह
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 74

माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी

- आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक कुमार सिंह तथा राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार को सुना।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन उप-जिला मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ द्वारा पारित नोटिस-सह-आदेश दिनांक 09.01.2026 के साथ-साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 130 के तहत नोटिस-सह-आदेश से उत्पन्न वाद संख्या 501191 वर्ष 2026 की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने के लिए दायर किया गया है।
- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित नोटिस-सह-आदेश तथ्यों, परिस्थितियों और कानून की स्थिति पर विचार किए बिना तथा प्रावधान के अनुसार स्वयं की संतुष्टि किए बिना पारित किया गया है।
- आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित करने में न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि आदेश एक मुद्रित प्रोफार्मा पर तैयार किया गया है, जिसमें अभियुक्त का नाम, मुकदमा अपराध संख्या और धारा हाथ से भरी गई है।
- इस न्यायालय द्वारा अंकित बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, जेआईसी 2010 (1) 432 में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश मुद्रित प्रोफार्मा पर होने के कारण स्पष्ट रूप से न्यायिक विवेक के प्रयोग के बिना है और इसलिए, केवल इस आधार ही पर निरस्त किए जाने योग्य है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है कि आक्षेपित आदेश मुद्रित प्रोफार्मा पर पारित किया गया है और इसलिए, अंकित (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, संबंधित मजिस्ट्रेट को नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया जा सकता है।

7. मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड का भी अवलोकन किया है।

8. अभियुक्त को समन जारी करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति पेपर बुक के पृष्ठ-59 पर अनुलग्नक-9 के रूप में संलग्न की गई है। उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह एक टाइप किया हुआ प्रोफार्मा है, जिसमें केवल वाद संख्या, पक्षकारों के नाम, धारा, तिथि और अगली तिथि की जानकारी ही टाइप किए गए आदेश में हाथ से भरी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्रित प्रोफार्मा के रिक्त स्थानों को न्यायालय के किसी कर्मचारी द्वारा भरा गया है और उसके बाद न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने केवल अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मजिस्ट्रेट ने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना यांत्रिक तरीके से यह आदेश पारित किया है।

9. उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा न्यायिक अधिकारियों द्वारा मुद्रित प्रोफार्मा पर आदेश पारित करने की ऐसी प्रथा को नामंजूर करने वाले निर्णयों की एक श्रृंखला होने के बावजूद, यह देखना अत्यंत पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान मामले में आवेदक को मजिस्ट्रेट द्वारा एक ऐसे आदेश के माध्यम से समन किया गया है जिसमें बिना न्यायिक विवेक का प्रयोग किए मुद्रित प्रोफार्मा पर रिक्त स्थान भरे गए हैं। इस प्रकार के आदेश को इस न्यायालय द्वारा अंकित (उपरोक्त) के मामले में, उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा करते हुए, पहले ही अस्थिर माना जा चुका है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत है:

"यद्यपि इस न्यायालय द्वारा मेघ नाथ गुप्ता एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2008 (62) एसीसी 826 के मामले में यह निर्धारित किया गया है, जिसमें डिप्टी चीफ कंट्रोलर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बनाम रोशन लाल अग्रवाल, 2003 (4) एसीसी 686 (एससी), यू.पी. पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाम मोहन मीकिन्स, 2000 (2) जेआईसी 159 (एससी): एआईआर 2000 एससी 1456 और कांति भद्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2000 (1) जेआईसी 751 (एससी): 2000 (40)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एसीसी 441 (एससी) के मामलों का संदर्भ दिया गया है, कि मजिस्ट्रेट के लिए आरोप-पत्र पर संज्ञान लेते समय विस्तृत कारण सहित आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि संज्ञान लेने का आदेश मुद्रित प्रोफार्मा पर रिक्त स्थानों को भरकर पारित किया जा सकता है। आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने के आदेश सहित कोई भी न्यायिक आदेश पारित करते समय, न्यायालय के लिए न्यायिक विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है और संज्ञान लेने का आदेश भी यांत्रिक तरीके से पारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है और मामले को आरोप-पत्र पर न्यायिक विवेक का प्रयोग करने के पश्चात नया आदेश पारित करने हेतु अवर न्यायालय को वापस भेजा जाना चाहिए।"

10. उपरोक्त के आलोक में, संबंधित न्यायिक अधिकारियों द्वारा न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना मुद्रित प्रोफार्मा पर रिक्त स्थानों को भरकर आदेश पारित करने का आचरण आपत्तिजनक है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त को समन करना एक गंभीर विषय है और आदेश से यह झलकना चाहिए कि मजिस्ट्रेट ने तथ्यों के साथ-साथ लागू होने वाले कानून पर भी अपने विवेक का प्रयोग किया है।

11. ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है। उप-जिला मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ द्वारा पारित आक्षेपित नोटिस-सह-आदेश दिनांक 09.01.2026 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है। मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि वे न्यायिक विवेक का प्रयोग करने के पश्चात नया आदेश पारित करें।

17 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी)